


अतः परिवार नियोजन इण्डेमिनिटी उपसमिति की सम्पन्न 13वीं बैठक दिनांक 28 सितम्बर 2017 का कार्यवृत्त एवं जनपदवार स्वीकृत लाभार्थियों की सूची संलग्न करते हुये आपसे अनुरोध है कि जनपदों को धनराशि अवमुक्त करने का कष्ट करे।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार

भवदीय



(डा० वीरेन्द्र सिंह)  
संयुक्त निदेशक(प०क०),  
परिवार कल्याण

संख्या—प०क०/10—जे०डी०/310(Vol-II)/2017/

दिनांकित्।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. जिलाधिकारी—झांसी, बांदा, बाराबंकी, गोरखपुर, उन्नाव, अमरोहा, अमेठी, वाराणसी, सीतापुर, मथुरा, शाहजहाँपुर, आगरा, बिजनौर, गाजीपुर, इटावा, आजमगढ़, प्रतापगढ़, बुलन्दशहर, गौतमबुद्ध नगर, देवरिया, बागपत, श्रावस्ती, इलाहाबाद, गोण्डा, सन्तकबीर नगर, हाथरस, भदोही, हमीरपुर, सम्भल, लखनऊ, महाराजगंज एवं जालौन।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी—झांसी, बांदा, बाराबंकी, गोरखपुर, उन्नाव, अमरोहा, अमेठी, वाराणसी, सीतापुर, मथुरा, शाहजहाँपुर, आगरा, बिजनौर, गाजीपुर, इटावा, आजमगढ़, प्रतापगढ़, बुलन्दशहर, गौतमबुद्ध नगर, देवरिया, बागपत, श्रावस्ती, इलाहाबाद, गोण्डा, सन्तकबीर नगर, हाथरस, भदोही, हमीरपुर, सम्भल, लखनऊ, महाराजगंज एवं जालौन।
5. महाप्रबन्धक(प०क०), एन०एच०एम०, विधान सभा मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(डा० वीरेन्द्र सिंह)  
संयुक्त निदेशक(प०क०),  
परिवार कल्याण